**छिपाना नहीं चाहता हूं । अगर कोई** श्रारोप है, कोई घोटाला है तो उस घोटालें को किसी भी हद तक इस सरकार की तरफ़ से श्राश्रय नहीं दिया जा सकता है। छिपाने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती है। मेरी जानकारी नहीं है, मैंने जहां तक देखा है, न मैंने श्री बसंत साठे जी की कोई टिप्पणी देखी है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, लेकिन जिस एन०टी०पी०सी० के अधिकारी का नाम लिया गया है, हां उस अधिकारी की टिप्पणी मैंने जरूर देखी है जिसमें प्राइस डिफ़रेंस के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है जो प्राइस का डिफ़रेन्स है, उस निश्चित प्रस्ताव का टेक्नीकल कंफ़िगरेशन है यह हमारे बिड के जो स्पेसिफ़िकेशनस हैं उत्तक अनसार नहीं है। इस मामले में मुझे जितनी जानकारी है, मैंने पहले कहा है कि उसके ग्रागे जो कागजात हैं वे मैंने वताये हैं। मेरा सिर्फ़ कहना यह है कि आरोप लगाते वक्त जरा संजीदगी के साथ थोड़ा ग्रपने ग्राप में सन्तुष्ट कर लिया जाय । यहां ५र कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन जब भ्राप घोटाला कह दें तो फ़िर मुझे पवका यकीन है कि आपके थह कागज मौजूद होने चाहिए जिनसे श्राप साबित कर सकें कि घोटाला है। ऐसे ही घोटाला कह देने से घोटाला नहीं हो जाता । अभी यहां सवांल आ रहा था, श्राज स्थिति यह है कि पावर सर्वे कमेटी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 48 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया था । प्लानिंग कमीशन, 1987 में कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, 48 हजार के आगे मत जाइएगा। भ्रापने सवाल पूछा कि बो॰एच०ई०एल<sup>्</sup> की उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि शायद 26-27 हजार मेगावाट तक भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इतना पैसा भी उपलब्ध कराना कठिन होगा । अभी तक उसके बारे में हमें कोई जानाकारी नहीं है में निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने पूछा कि इसमें क्या मजबूरी है ? मजबूरी यह है कि जो प्रोजेक्ट साल भर डिले हो जाती है उसके साल डेढ़ साल डिले

होने पर सौ; डेढ़ सौ करोड़ रुपए इतनी क्षमता की प्रोजेक्ट पर खुद-ब-खुद बढ़ जाते हैं। मेरे भास एक ही तरीका था; जो ग्रीफ़र थीं, उसके बाद एक ही तरीका था जिस पर डिपार्टमेंट श्राफ़ पावर ने एक स्टेज पर विचार किया था । कि ह**म** इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के बाहर ले लें ग्रीर वर्ल्ड बैंक के बाहर लेने के बाद हम कहीं ग्राँर से संसाधन उपलब्ध करायें। वित्त मंत्रालय की यह राय थी कि अगर इसको बर्ल्ड बैंक से बाहर ले इससे मिस प्रोक्योरमेंट का इल्लाम आयेगा और हमारे जो दूसरे जो दसरे प्रोजेक्ट्स है वे इससे प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर, लेकिन मैं यह सफ़ाई नहीं देरहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपको सारे कागज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हं, एक तो यह इल्जाम आयेगा और दूसरा यह होगा कि अगर हमने इसको वर्ल्ड बैंक से निकाला और कहीं और से संसाधन निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें 14 से लेकर 18 महीने की देरी हो जाएगी **श्रीर इसके कारण हमारा पूरा पावर** प्रोग्राम प्रभावित होगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over. Papers to be laid on the Table.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

श्राखिल भारतीय श्रायुविज्ञान संध्यान के निदेशक के कार्यकाल का बढ़ाया जाना

\*245. श्री भ्रनन्त राम जायसवाल : क्या स्वास्थ्य भ्रीर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की हुपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को ग्रखिल भार-तीय ग्रायुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक के कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाये जाने तथा संस्थान से संबंधित कुछ ग्रन्य मामलों के बारे में जून, 1990 में एक पत्न भेजा था; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि उसपर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और कार्यवाही कब की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसुद): (क) श्रीर (ख) कुछ संसद सदस्यों ने ग्रखिल भार-तीय ग्रायुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की निदेशक की दूसरी बार सेवाएं बढ़ाने के संबंध में जन, 1990 में प्रधानमंत्री को एक पत्न भेजा था। संस्थान की वर्तमान निदेशक डा० (श्रीमती) स्नेह भागेव की केन्द्रीय सरकार की अनुमति से उनकी 30 जुन, 1990 को अधिवार्षितावय प्राप्त कर लेने तक 15 नवम्बर, 1989 को नियुक्त किया गया था। पहली बार डा० भागेंव को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से 1 जुलाई, 1990 से 6 महीने की ग्रवधि के लिए ग्रथवा नए निदेशक का चयन हो जाने तक, जो भी पहले हो, सेवा दिस्तार दिया गया था । ऐसा अपरिहार्य परि-स्थितियों में किया गया था और यह संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुपार है। नए निदेशक के चयन के लिए उपाय पहले ही गुरू कर दिए हैं और इस प्रक्रिया के शीघ्र ही प्राहो जाने की संभावना है ।

पत्न में उठाए गए अन्य प्रमुख मुहे एन० एम० आर० (न्यूक्लियर मंगनेटिन रिसोनांस) के लिए उपकरण, कम्प्यूटरे-करण और सी० टी० वी० एस० (काडियो थोरेसिक और वास्कुलर सर्जरों) उपकरण खरीदिन और वयन समिति के एक सदस्य की नियुक्ति से संबंधित हैं। अब तक की गई जांच से एन० एम० आर० करण्यूटरोकरण और सी० टी०वी०एस० लिए उपकरण खरीदिन के संबंध में किन्हीं अनियमितताओं का पता नहीं चला। उपरिलखित चयन समिति का सदस्य 11 सदस्यों में से एक है और पूर्णत्वा अर्हता प्राप्त है।

## Price control on drugs

\*246. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: CHOWDHARY RAM SEWAK:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether. Government's attention has been drawn to the news-item which

appeared in the 'Indian Express' of the 14th August, 1990 under the heading "Total decontrol of drugs ruled out";

- (b) if so, whether it is a fact that his Ministry included 26 bulk drugs under price control as none of these drugs fulfil any exclusive criteria laid down by the Kelkar Committee;
- (c) whether it is a fact that all these drugs are having turn over of more than Rupees Fifty lakhs per annum which was one of the principles laid down for inclusion under price control;
- (d) whether it is also a fact that there are more than fifty drugs which do not fulfil any exclusion criteria but have been exempted from price control; and
- (e) if so, what are the names of such drugs and what was the procedure adopted to pick up only 26 drugs while keeping others pending?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Government has seen the news item which appeared in the Indian Express on 14-8-1990.

## (b) and (c) Yes, Sir.

(d) and (e) A number of representations, most of which are from the Hon' ble Members of Parliament, have been received for wrong exclusion of about 165 bulk drus from price control under the Drugs (Prices Control) Order, 1987. In most of such representations, it has been alleged that excluded drugs do not fulfil any of the five exclusion criteria enunciated by the Kelkar Committee its report. The inclusion of 26 bulk drugs under the Drugs (Prices Control) Order, 1987 is a part of the review of the DPCO., 1987 in the light of the aforesaid representations. The Standing Committee Constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals is looking into other cases.